वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) यह प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण, जिसके माध्यम से विश्व बैंक का रियायती सहायता प्रदान की जाती हैं, के संसाधनों के दसवें पुनर्भरण से संबंधित अवधि के संदर्भ में है । इस अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से मिलने वाली रियायती सहायता की मात्रा के ब्यौरे तथा उन परियोजनाओं के ब्यौरे, जिनके लिए ऐसी सहायता प्राप्त करने हेतु अंतिम रूप से बातचीत की जाती है, को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) :

बैंक ऋण की अदायगी

1606. श्री ईश दत्त यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान कई लोगों ने 20 लाख रुपए तथा इससे अधिक की राशि बैंकों से उधार ली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) कितने लोगों ने नियमित रूप से ऋण की अदायगी नहीं की है ; और

(घ) सरकार हैं इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) आंकड़ा सूचना प्रणाली से मांगे गए अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती हैं। अलबत्ता, मार्च 1991 के अन्त की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में बकाया ऋण वाले खातों की कुल संख्या 636.64 लाख (अद्यतन उपलब्ध) थी और तदनुरूप अवधि के लिए सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में उन खातों की संख्या जिनमें ऋण की राशि अतिदेय हो गई, 166.08 लाख थी ।

(घ) ऋणकर्ता से बकाया राशि की वसूली करना एक सामान्य बैंकिंग क्रिया-कलाप होता है और सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में कोई अनुदेश जारी नहीं करते हैं । बहरहाल, भारतीय रिजर्व बैंक ने अतिदेय राशियों को कम करने और वाणिज्यिक बैंकों के विभिन्न क्षेत्रों को उनके अग्रिमों के संबंध में वसूली संबंधी कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए भी विभिन्न उपाय किये हैं । कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :—

1. बैंकों पर एक और जरुरतमंदों और अर्थव्यवस्था के उत्पादात्मक क्षेत्रों के लिए बैंकों के दुर्लभ संसाधनों के पुनर्निवेश में सहायता करने और दूसरी ओर, ऋण-दाता बैंकों की लाभप्रदता और अर्थक्षमता में सुधार करने के विचार से एक अर्थक्षम वसूली प्रणाली के प्रारम्भ करने पर बल दिया गया ।

2. बैंकों के मुख्य कार्यपालकों को बड़े अग्रिमों की निगरानी करने पर अपना व्यक्तिगत ध्यान देन को कहा गया हैं ।

3. अलग-अलग अग्रिमों के, उनकी कारगर निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के प्रयोजन हेतु, स्वास्थ्य को दर्शाने के लिए एक व्यापक और समान ग्रेडिंग प्रणाली प्रारम्भ करना ।

4. बड़े अवरुद्ध खातों की वसूली पर निगरानी रखना ।

5. जहां अग्रिमों को अवरुद्ध पाया जाता हैं, सुधारात्मक कार्रवाई करना ।

Seminar on black money

1607. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:
SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRI RAJNI RANJAN SAHU:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether at a seminar on Black money and Budget concessions on it

organised in New Delhi on April 3, 1993, one view that emerged was that concessions on black money announced under Central Budget year after year was the main reason for criminalisation of politics;

(b) if so, what is Government's reaction thereto; and

(c) what were the other main observations and suggestions made at the seminar?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) The Ministry of Finance have not conducted any seminar on black moey and Budget concessions on April 3, 1993.

(b) and (c) Do not arise in view of reply to part (a).

Purchase of Jahangirabad Mansion

1608. SHRI DIGVIJAY SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item which appeared in the Swantantra Bharat (Lucknow edition) dated the 1st September, 1990, captioned as "Kharida Kaurion Ke Mol";

(b) If so, what are the details thereof;

(c) whether Government have taken any action against the officials of the CBDT involved in the fraud and whether any amount has since been recovered from the owner of the Jahangirabad Mansion; and

(d) if so, what are the details thereof and if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) Yes, Sir.

(b) The article in the newspaper alleged that one building namely 'Jahangirabad Mansion' was sold at an abnormally low price of Rs. 22 lacs (consisting of Rs. 14 lacs for the building and Rs. 8 lacs for the adjoining land). The sale has allegedly resulted in loss of revenue of at least Rs. 1 Crore to the Income-tax Department and also involves passing of huge amount of unaccounted money. The registration of the transaction at Bombay also resulted in loss of Stamp duty for the U.P. State Government. The article also states that the property was under attachment orders of the Income-tax Department upto 21.4.89 which were withdrawn to enable the owner to sell the property in violation of rules and regulations.

(c) and (d) The property 'Jahangirabad Mansion' was owned by Raja Jamal Rasool Khan. This was attached by the Income-tax Department on account of arrears of Income-tax & Wealth-tax against the owner. In 1986, Raja Jamal Rasool Khan proposed to pay the outstanding demands by sale of this property subject to the permission of such sale, by the Income-tax Department. This proposal was agreed to and the property was allowed to be sold, subject to the payment of the entire outstanding demand. The attachment order was withdrawn only on 28-1-1990 after payment of the outstanding demand had been made. As such there has been no irregularity or violation of any rules/regulations in withdrawin the attachment order.

The allegation of under valuation of the sale price and passing of unaccounted money in the transaction has been enquired and action as permitted under law has been taken in this case.

In view of above facts, the question of taking of any action against officials of the Income-tax Department does not arise.